



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/ VAISAKHA 7, 1938

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/ संशोधन/ 2015/2/एससी.— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में -

(क) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -

(i) खंड (च) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

‘(च) “सीएनजी के लिए कम्पैशन प्रभार” का अर्थ है वह प्रभार (सांविधिक करें और वसूलियों को छोड़कर), जो किसी सीएनजी केंद्र में ग्राहकों को बाद में वितरित करने के लिए प्राकृतिक गैस को संपीडित प्राकृतिक गैस (जिसे इसके बाद से सीएनजी के रूप में उल्लेख किया गया है) को ऑनलाइन कम्पैशन के लिए रूपए प्रति किलोग्राम वसूल किया जाना है जिसका संबंधित कंपनी द्वारा सीजीडी नेटवर्क के संचालन के लिए अधिकृत कंपनी को भुगतान किया जाएगा;’

(ii) खंड (ज) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

(ज) नेटवर्क शुल्क का अर्थ है सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए रुपए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिटों (रुपए / एमएमबीटीयू) में शुल्क (सांविधिक करों और वसूलियों को छोड़कर) की भारित औसत इकाई दर, जिसका संबंधित कंपनी द्वारा सीजीडी नेटवर्क के संचालन के लिए अधिकृत कंपनी को भुगतान किया जाएगा;

(ख) विनियम 5 में, उप-विनियम (6) में, खंड (च) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(च) यदि किसी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाता है और वह कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 1963 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नहीं है तो वह ऐसी घोषणा किए जाने की तारीख से कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 6 माह में स्वयं को पंजीकृत करवाएगी:”

(ग) विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(क) सीजीडी नेटवर्क परियोजना की आर्थिक कालावधि (प्राधिकार की तारीख से पच्चीस वर्ष) में प्राकृतिक गैस (सीएनजी के लिए ऑनलाइन कम्प्रेसर को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सहित) के प्रत्येक श्रेणी के ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क उपयोग के लिए समग्र इकाई नेटवर्क के मौजूदा मूल्य में कमी होने पर संबंधित कंपनी द्वारा सीजीडी प्रचालन के लिए प्राधिकृत कंपनी को भुगतान किया जाएगा। कंपनी को परियोजना की आर्थिक कालावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए शुल्क प्रभार हेतु बोली देनी अपेक्षित होगी और लगातार किन्हीं दो वर्षों के मध्य यूनिट नेटवर्क टैरिफ में अंतर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे 70 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी।”

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

“(ख) परियोजना की आर्थिक कालावधि में प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी केंद्रों में वितरण के लिए सीएनजी के कम्प्रेसन प्रभार के मौजूदा मूल्य में कमी होने पर संबंधित कंपनी द्वारा सीजीडी प्रचालन के लिए अधिकृत कंपनी को भुगतान किया जाएगा। कंपनी को परियोजना की आर्थिक कालावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए शुल्क प्रभार हेतु बोली देनी अपेक्षित होगी और लगातार किन्हीं दो वर्षों के मध्य सीएनजी के लिए कम्प्रेसन प्रभार में अंतर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे 30 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी।”

(घ) विनियम 8 में -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(1) सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए नेटवर्क शुल्क, विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत नेटवर्क शुल्क बोली के अनुसार निर्धारण किया जाएगा और नेटवर्क का सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में उपयोग करने के लिए सीजीडी नेटवर्क संचालन के लिए अधिकृत कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी से वसूला जाएगा।”

(ii) उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(2) सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के लिए कम्प्रेसन प्रभार विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत सीएनजी बोली के लिए कम्प्रेसन प्रभार निर्धारित किए जाएंगे और इन्हें अधिकृत कंपनी की कम्प्रेसन सुविधा का उपयोग करने के लिए सीजीडी नेटवर्क के संचालन के लिए अधिकृत कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी से वसूला जाएगा।”

(iii) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होगा, नामतः-

“(3) प्राधिकृत कंपनी बिना कोई भेदभाव बरते किसी प्रीमियम या छूट के बिना बीजक के जरिए सीजीडी नेटवर्क का उपयोग करने वाली संबंधित कंपनी से अलग से नेटवर्क शुल्क और सीएनजी का कम्प्रेसन प्रभार वसूल करेगी।”

(ङ.) विनियम 11 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की मात्रा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत स्वीकृत

सामान्य वाहक या संविदा वाहक से छूट के लिए विशिष्ट अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु उद्धृत नेटवर्क शुल्क बोली में निर्धारित मात्रा के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर होगी।”

(च) विनियम 17 में, उप-विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(5) परिवहन शुल्क का निर्धारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत विनियम के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।”;

(छ) विनियम 18 में, उप-विनियम (9) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(क) परिवहन टैरिफ का निर्धारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत विनियम के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।”;

(ज) अनुसूची ग के भाग-1 में,

(i) खंड (3) घ के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“क्या संस्था कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है?”;

(iii) खंड (3) ड. के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनी है?”;

(iii) खंड (3) च के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करते समय, यदि कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी नहीं है और उसका प्राधिकार प्रदान करने के लिए चयन होने पर वह कंपनी बनने का वचन देती है।”;

(झ) घोषणा अनुसूची ग में घोषणा (3) को हटाया जाएगा तथा घोषणा (4) को (3) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

(ञ) अनुसूची घ में, -

(i) खंड (9) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(9) कंपनी प्राधिकृत क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए नेटवर्क टैरिफ तथा सीएनजी के कम्प्रेसन प्रभार को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी जो इस अनुसूची के साथ भी संलग्न है।”;

(ii) खंड (13) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“ कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के अंतर्गत लागू प्रावधानों, सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों व विनिर्देशनों के संगत विनियमों, अन्य कोई लागू विनियमों तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।”;

(iii) खंड 15 को हटाया जाएगा।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./38(188)]

पाद टिप्पणीः—मूल विनियम सं. सा.का.नि.196(अ.) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें सा.का.नि 800(अ.) दिनांक 19 नवंबर, 2008, सा.का.नि 295 (अ.) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि 478(अ.) दिनांक 07 जून, 2010, सा.का.नि 605 (अ.) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी /सीजीडी/ रेग्युलेशंस/रिव्यू-2011/2012-III दिनांक 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/ ब्रिड/4/2013-प्रि-ब्रिड दिनांक 07 अप्रैल, 2014, फा.सं.एल-मिस/VI/II/2007 दिनांक 01 जनवरी, 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/ रेग्युलेशंस/अमेंड/2015 दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा पीएनजीआरबी/ सीजीडी/ अमेंड/ 2015/2 दिनांक 11 दिसंबर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2/SC.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,-

(a) in regulation 2, in sub regulation (1),-

(i) for clause (f),the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “compression charge for CNG” means a charge (excluding statutory taxes and levies) in Rs. / Kg for online compression of natural gas into compressed natural gas (hereinafter referred to as CNG) for subsequent dispensing to customers in a CNG station to be paid by an entity to the entity authorised to operate the CGD network;’

(ii) for clause (h),the following clause shall be substituted, namely:-

‘(h) "network tariff" means the weighted average unit rate of tariff (excluding statutory taxes and levies) in rupees per million British Thermal Units (Rs./ MMBTU) for all the categories of customers of natural gas in a CGD network to be paid by an entity to the entity authorised to operate the CGD network;’

(b) in regulation 5,in sub-regulation (6), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) the entity, on being declared as a successful bidder and not being a company registered under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, shall get itself registered as a company under the Companies Act, 2013 within six months from the date of such declaration:”

(c) in regulation 7, in sub-regulation (1),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) lowness of the present value of the overall unit network tariff, to be paid by an entity to the entity authorised to operate the CGD network, for usage of the proposed CGD network by all categories of customers of natural gas (including supply of natural gas to online compressor for CNG) over the economic life of the CGD network project (twenty five years from the date of authorization). The entity is required to bid for the tariff charge for each year of the economic life of the project and the variation in unit network tariff between any two consecutive years should not be more than ten per cent. This shall have a weightage of seventy per cent.,”

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) lowness of the present value of the compression charge for CNG, to be paid by an entity to the entity authorised to operate the CGD network, for dispensing in the CNG stations in the proposed CGD

network over the economic life of the project. The entity is required to bid for the compression charge for each year of the economic life of the project and the variation in compression charge for CNG between any two consecutive years should not be more than ten per cent. This shall have a weightage of thirty per cent.;"

(d) in regulation 8,-

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The network tariff for transportation of natural gas in the CGD networks, shall be fixed as per the network tariff bid under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7 and shall be recovered from an entity by the entity authorised to operate the CGD network for using the network as common carrier or contract carrier.”;

(ii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The compression charge for CNG in the CGD networks, shall be fixed as per the compression charge for CNG bid under clause (b) of the sub-regulation (1) of regulation 7 and shall be recovered from an entity by the entity authorised to operate the CGD network for using the compression facility of the authorised entity.”;

(iii) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) The authorised entity shall recover the network tariff and the compression charge for CNG separately from an entity accessing the CGD network through an invoice without any premium or discount on a non-discriminatory basis.”;

(e) in regulation 11, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The volume of natural gas supply under the agreement referred to in sub-regulation (1) shall be equal to at least fifty per cent. of the volumes considered in the quoted network tariff bid for each year of the exclusivity period allowed for exemption from the purview of common carrier or contract carrier under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.;"

(f) in regulation 17, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(5) The transportation tariff shall be as determined by the Board as per regulation under section 22 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006. ”;

(g) in regulation 18, in sub-regulation (9), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) The transportation tariff shall be as determined by the Board as per regulation under section 22 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.”;

(h) in Part-I of Schedule C,-

(i) for clause (3) D, the following shall be substituted, namely:-

“Is the entity a company registered under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013?”;

(ii) for clause (3) E, the following shall be substituted, namely:-

“Is the entity promoted by a company registered under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013?”;

(iii) for clause (3) F, the following shall be substituted, namely:-

“The entity undertakes to become a company, in case it is not a company at the time of submission of this application-cum-bid, under the Companies Act, 2013 on being selected for grant of authorization.”;

(i) Declaration (3) in Schedule C shall be deleted and Declaration (4) shall be renumbered as Declaration (3);

(j) in Schedule D,-

(i) for clause (9), the following clause shall be substituted, namely:-

“(9) The entity shall publish on its website the network tariff for transportation of natural gas as well as the compression charge for CNG in the CGD network in the authorized area which is also annexed to this schedule.”;

(ii) for clause (13), the following shall be substituted, namely:-

“The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.” ;

(iii) clause 15 shall be deleted.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[Advt.-III/4/Exty./38(188)]

Foot Note: Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E) dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E) dated 19th July, 2010, F.No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007 dated 1st January, 2015, F.No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015 dated 13th February 2015 and PNGRB/CGD/Amendment/2015/2 dated 11th December 2015.